



छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

कार्यालय - शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर (छ.ग.)

492010(छत्तीसगढ़) फोन एवं फैक्स 0771 - 2263165

वेबसाइट - www.cgaupcb.in, ई-मेल - registrar@cgaupcb.in

क्रमांक/सूचना/2022/553

रायपुर, दिनांक 02/8/2022

—: प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा व्यवसायियों हेतु सूचना :-

छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, रायपुर के अधिसूचना क्रमांक— एफ 21-01/2006 नौ/55 दिनांक - 26 सितंबर 2006 एवं छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के तारतम्य में छत्तीसगढ़ राज्य में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ.ग.) एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय (छ.ग.) के अंतर्गत संचालित बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड यौगिक साइंस (बी.एन.वाइ.एस) पाठ्यक्रम एवं उपाधि चिकित्सा व्यवसाय हेतु छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर में पंजीयन के लिए मान्य है।

उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित किए जा रहे प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा उपाधि/पत्रोपाधि पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य में चिकित्सा व्यवसाय हेतु मान्य नहीं है। छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर में बिना पंजीयन राज्य के अंतर्गत प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा व्यवसाय किया जाना विधि विपरीत है। तदानुसार सूचित होंगे।

(डॉ. संजय शुक्ला)

रजिस्ट्रार

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा
पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर
